

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, नाथद्वारा, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकांत वैष्णव, आर.एच.जे.एस.

एम.ए.सी.प्रकरण सं. : 44 / 2019

रामनिवास आदि **बनाम** राजेश आदि

// विवाद्यक //

दिनांक : 22.10.2021

1. आया दिनांक **16.03.2019** को समय करीब 12:45 पी.एम. पर पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र नाथद्वारा में नई हवेली स्कूल के पास लोक मार्ग पर अप्रार्थी संख्या 1 ने वाहन बस संख्या आर.ज.30 पी.ए. 0658 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक प्रणय बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक प्रणय के सिर व अन्य जगह साधारण व गम्भीर उपहतियां कारित होने से उसकी मृत्यु हो गई ?

-----प्रार्थीगण

2. आया अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव के आपत्तियों में वर्णित अनुसार वाहन स्वामी अप्रार्थी सं. 2 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ?

---बीमा कंपनी

3. आया प्रार्थीगण याचिका में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो किस किस अप्रार्थी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

प्रार्थीगण

4. अनुतोष ?

व्याख्या की गई।

(लक्ष्मीकांत वैष्णव)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
नाथद्वारा